



उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड में प्रसारित

ज़िद सच की

आम आदमी का फोन रिसीव करें अधिकारी: सीएम.....०1

Email- amarbhashkar21@gmail.com, www.amarbhashkar.in

सियासी उठापटक रोकने के लिए शरीफ का नया दाव...०6

वर्ष: ०1 अंक: 339

बदायूं, शनिवार 15 जून 2०24

पृष्ठ- ०6

मूल्य- 4.०० रुपये

ध्वस्त होगा अवैध रूप से बना शिव मंदिर: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 29 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय के अवैध रूप से बने शिव मंदिर को गिराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 नवंबर के डूब क्षेत्र में स्थित एक शिव मंदिर को गिराने की अनुमति दी गई थी। प्राचीन शिव मंदिर को गिराने का आदेश देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि भगवान शिव को अदालत के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह हम लोग हैं जो भगवान शिव की सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं। यदि यमुना



नदी के तल और बाढ़ के मैदान को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे। यदि यमुना नदी के तल और बाढ़ के मैदान को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त कर दिया जाए तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि भगवान शिव को किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने

संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार प्रबंधन को बनाए रखने के लिए 2०18 में सोसायटी का पंजीकरण किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि विवादित जमीन व्यापक जनहित के लिए है और याचिकाकर्ता सोसायटी इस पर कब्जा करने और इसका इस्तेमाल जारी रखने के लिए किसी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकती। यह जमीन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जोन-ओ के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत आती है। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता सोसायटी जस्टिस कुमार ने अपने मालिकाना हक, अधिकार या हित के संबंध में कोई दस्तावेज दिखाने में बुरी तरह विफल रही है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मंदिर का

कोई ऐतिहासिक महत्व है। पीठ ने कहा, प्राचीन मंदिर का प्रमाण कहाँ है? प्राचीन मंदिर सीमेंट और रंग-रोगन से नहीं, बल्कि चट्टानों से बनाए गए थे। शुरुआत को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीवी संजय कुमार और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है और इसमें कोई दोष नहीं है। जस्टिस कुमार ने विध्वंस को चुनौती देने में याचिकाकर्ता समिति के अधिकार पर भी सवाल उठाया। जस्टिस कुमार ने कहा, प्याप बाढ़ के मैदानों में अखाड़ा कैसे बना सकते हैं? क्या अखाड़ा आम तौर पर (भगवान) हनुमान से जुड़ा नहीं है?

सीएम ने दिए निर्देश: आम आदमी का फोन रिसीव करें अधिकारी

विवादित स्थलों पर न हो बकरीद पर कुर्बानी

अमर भास्कर, ब्यूरो लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन दोबारा शुरू हो गया है। जिलों से आ रही शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा हो रही है। जहां से अधिक शिकायतें मिलेंगी, वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम अधिकारी जहां जनसुनवाई करेगा, इसकी सूचना जनता को पहले से दे। लोगों की समस्याएं सुनें और तत्काल निस्तारण करें। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है। उसका विश्वास जीतें। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन जनता के लिए मिले हैं, इसे चालू रखें। अधिकारी फोन स्वयं रिसीव करें, अथवा कॉल बैक



करें। अपने सरकारी आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने मंडल, रेंज और जिलों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से ग्रहणचार पर अंकुश लगाने के बावत कहा कि ब्लॉक, जिला मुख्यालय, सचिवालय, यदि कहीं भी अनैतिक लेन-देन की शिकायत मिली तो इसमें सलिस लोगों पर कार्रवाई होनी तय है। वहीं आगामी त्योहारों के संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस

एक नजर जी7 शिखर सम्मेलन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी



नई दिल्ली। जी7 शिखर सम्मेलन के 'आउटरीच' सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने गुरुवार को कहा कि सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलेनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर अपुलिया में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत-ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रश्न-पत्र लीक समेत अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग, केंद्र-एनटीए को सुप्रीम नोटिस

नई दिल्ली। नीट-यूजी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया। नोटिस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक, 2०24 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को लेकर जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में हस्तांतरित करने की मांग वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर भी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। जस्टिस विरम



नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के वकील की इस दलील पर गौर किया कि प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं

वे 5 मई को परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने से संबंधित थीं। एनटीए के वकील ने कहा कि अब मामला सुलझ गया है और वह 1,536 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले और शीर्ष अदालत के 13 जून के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे। नीट-यूजी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र और छग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने डट्टे और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं।

राज्यपाल बोलीं, ट्रैफिक नियम का पालन न करने वालों से कराएं रक्तदान

लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि जो युवा ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे रक्तदान कराया जा सकता है। वे शुक्रवार को केजीएमयू के ब्राउन हाल में आयोजित समारोह में बोल रही थीं। इस मौके पर उन्होंने रक्तदान और रक्तदान शिविर लगाने के लिए व्यक्ति और संस्थाओं को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि तमाम जागरूकता के बावजूद अभी भी पर्याप्त मात्रा में रक्तदान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इसके लिए नए तरीके तलाश करने होंगे। प्रदेश की जेलों में रक्तदान शिविर लगाया जा सकता है। उनके अनुसार हर कानून तोड़ने पर सजा का प्रावधान नहीं है। सामान्य ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों से पुलिस रक्तदान करा सकती है। सामान्य मामलों में सजा के बजाय अस्पताल में सेवा और रक्तदान का निर्देश दिया जा सकता है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, केजीएमयू कुलपति प्रो सोनिया नित्यानंद, एनएचएम निदेशक पंकी जोवेल और प्रति कुलपति अपजित कौर उपस्थित रहे।

कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच एनटीए ने कहा कि वह तीन अन्य याचिकाओं को वापस लेना चाहता है, जो उच्च न्यायालयों से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग कर रही थीं, क्योंकि

अयोध्या पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, बोले- धर्म को राजनीति से दूर रखें

अमर भास्कर, ब्यूरो अयोध्या। नगीना लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि अयोध्या लोकसभा चुनाव में अयोध्यावासियों ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे, तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार और महंगाई पर बात होनी चाहिए। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे। चाहे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख और जैन धर्म



राजनीति में न लाया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। इससे जनता के मुद्दों पर बात हो सकेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि अर्धसैनिक बल के मुद्दे को संसद में उठाऊंगा। पुलिस और अर्धसैनिक बल बहुत बुरी स्थिति में हैं, मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूँ। जब हम अच्छे कूलर में बैठते हैं तो वह गर्मी में खड़े रहते हैं। वे खूब पसीना बहाते

करेगा। सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर हो तो बेहतर है। नीट परीक्षा को लेकर कहा कि सरकार मान जाए तो अच्छा है। नहीं तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, किसी भी परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के बारे में कहा कि यह लंगड़ी सरकार है। कभी भी गिर सकती है। उसके हालात सब लोग जानते हैं कि कैसे सरकार बनाई गई है। 4०० पार का नारा दिया था। 25० भी क्रॉस नहीं कर पाए। जनता भाजपा के खिलाफ है। यह पूरा चुनाव जनता ने लड़ा है। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

गर्मी के बीच दिल्ली-एनसीआर में हुई हल्की बूँदाबांदी, चल रही तेज हवा

दिल्ली। एनसीआर के कई इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार दोपहर में दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूँदाबांदी हो रही है। गाजियाबाद, नोएडा समेत कई इलाकों में बूँदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो घंटों के दौरान दिल्ली के अलग-अलग स्थानों (बुद्ध जयंती पार्क, दिल्ली कैट) के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी और 3०-4० किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी। इससे पहले मौसम विभाग ने 14-15 जून के लिए गर्मी व लू का ऑरेंज अलर्ट व 16 से 19 जून तक लू का यलो अलर्ट जारी किया था। मानक केंद्र सफदरजंग पर गुरुवार को अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 29.4 डिग्री दर्ज हुआ। आयात में अधिकतम तापमान 46.4 व न्यूनतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा।



अमर भास्कर

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल

को पूरे देश में प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक एवं थाना स्तर पर अनुभवी एवं शिक्षित संवाददाता एवं विज्ञापन प्रभारियों की।

संपर्क करें:-

मोबा. 9411214614, 9058143211, 7599339198

ऑफिस:-

जिकेट होटल रिजेन्सी, लावला चौक, बदायूं (उ.प्र.)- 243601

www.amarbhashkar.com

Email- amarbhashkar21@gmail.com

